अनुदान संख्या 64 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	2636,40,00			
			2667,18,00	2556,81,38	-110,36,62
पूरक	Supplementary	30,78,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				95,03,75
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		12,30,00	3,49,63	-8,80,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹11036.62 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹3078.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹11036.62 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹3078.00 lakhs obtained in March, 2011 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	23650.00			
पू.	S	1.00	150.19	..	-150.19
पु.	R.	–23500.81			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "2851" Major Head "2851"
ग्राम तथा लघु उद्योग Village and Small Industries

मू.	O.	238285.00			
पू.	S.	3076.00	254761.06	253374.42	-1386.64
पु.	R.	13400.06			

मुख्य शीर्ष "3601" Major Head "3601"
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान Grants-in-aid to State Governments

मू.	O.	1016.00			
पू.	S.	1.00	1604.00	1601.44	-2.56
पु.	R.	587.00			

(I) ₹42368.00 लाख का प्रावधान छत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹41572.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹42368.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty six heads; of these ₹41572.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2552"-

(A) Major Head "2552" –

(क) "ग्राम और लघु उद्योग - खादी और ग्राम उद्योग"-

(a) "Village and Small Industries – Khadi and Village Industries" –

(i) "खादी उद्योग" - ₹2905.00 लाख;

(i) "Khadi Industries" - ₹2905.00 lakhs;

(ii) "ग्राम उद्योग" - ₹600.00 लाख;

(ii) "Village Industries" - ₹600.00 lakhs;

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग - नारियल रेशा उद्योग "-

(b) "Village and Small Industries – Coir Industries" –

(i) "नारियल रेशा बोर्ड" - ₹170.00 लाख;

(i) "Coir Board" - ₹170.00 lakhs;

(ii) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन'' - ₹210.00 लाख;

(ग) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य ग्राम उद्योग'' -

(i) ''पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की स्कीम''- ₹210.00 लाख;

(ii) ''खादी कामगारों के लिए वर्कशेड स्कीम''- ₹200.00 लाख;

(iii) ''खादी उद्योगों और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम''- ₹210.00 लाख;

(iv) ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम''- ₹9076.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(v) ''खादी सुधार विकास पैकेज - एशियाई विकास बैंक सहायता स्कीम'' - ₹1920.00 लाख;

(घ) ''ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग''-

(i) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ''-₹340.00 लाख;

(ii) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम'' -₹750.00 लाख;

(iii) ''संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम' - ₹595.00 लाख;

(iv) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ''- ₹550.00 लाख;

(v) ''ऋण सहायता कार्यक्रम''- ₹4995.00 लाख; और

(ii) “Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry” – ₹210.00 lakhs ;

(c) “Village and Small Industries – Other Village Industries” –

(i) “Scheme of funds for Regeneration of Traditional Industries” – ₹210.00 lakhs;

(ii) “Workshed scheme for Khadi Artisans”– ₹200.00 lakhs;

(iii) “Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans”– ₹210.00 lakhs;

(iv) “Prime Minister’s Employment Generation Programme” – ₹9076.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(v) “Khadi Reform Development Package ADB Assistance Scheme” - ₹1920.00 lakhs;

(d) “Village and Small Industries – Small Scale Industries” –

(i) “National Small Industries Corporation Limited” – ₹340.00 lakhs;

(ii) “Quality of Technology Support Institution and Programme” – ₹750.00 lakhs;

(iii) “Promotional Service Institutions and Programmes” – ₹595.00 lakhs;

(iv) “MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles”– ₹550.00 lakhs;

(v) “Credit Support Programme” – ₹4995.00 lakhs; and

(ङ) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं''- ₹700.00 लाख।

(e) "Village and Small Industries – Other Expenditure – Training Institutions"– ₹700.00 lakhs.

उपर्युक्त पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above fifteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(B) Major Head "2851" –

(क) ''खादी और ग्राम उद्योग - खादी सुधार विकास पैकेज (एशियाई विकास बैंक सहायता)''- ₹12825.00 लाख नीतिगत ढांचे में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण थे।

(a) "Khadi and Village Industries – Khadi Reform Development Package (ADB Assistance)"- ₹12825.00 lakhs – due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix.

(ख) ''अन्य ग्राम उद्योग - विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' - ₹374.00 लाख कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दूसरे ट्रांच जारी करने के लिए नीतिगत ढांचे में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने के कारण थे।

(b) "Other Village Industries – Strengthening of Infrastructure of existing weak Khadi Institutions and Assistance for Marketing Infrastructure" - ₹374.00 lakhs - due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche by the implementing agencies and slow pace of expenditure under various schemes.

(ग) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना''-

(c) "Special Component Plan for Scheduled Caste" –

(i) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - अनुसूचित जाति उप योजना''- ₹315.00 लाख अनुसूचित जाति लाभार्थियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(i) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry - SC Sub Plan" - ₹315.00 lakhs- due to non-receipt of proposals from scheduled caste beneficiaries.

(ii) ''खादी सुधार विकास पैकेज - एशियाई विकास बैंक सहायता - अनुसूचित जाति उप योजना''- ₹2880.00 लाख; और

(ii) "Khadi Reform Development Package – ADB Assistance – SC Sub Plan"– ₹2880.00 lakhs; and

(घ) ''जनजातीय क्षेत्र उप योजना'' -

(d) "Tribal Area Sub Plan" -

(i) ''खादी सुधार विकास पैकेज - एशियाई विकास बैंक सहायता - जनजातीय उप योजना'' - ₹1575.00 लाख।

(i) "Khadi Reform Development Package– ADB Assistance – Tribal Sub Plan" – ₹1575.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दूसरा ट्रांच जारी करने के लिए नीतिगत ढांचे में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''नारियल रेशा उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन - जनजातीय उप योजना'' - ₹172.00 लाख प्रस्ताव प्राप्त न होने, स्कीम मांग और परियोजना आधारित होनेके कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''लघु उद्योग'' -

(क) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ''- ₹1736.97 लाख की बचत (₹4950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा ''एमएसएमई विकास स्तंभ'' उप योजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और राज्य सरकारों में प्रतिक्रियाशीलता की वजह से व्यवहार्य परियोजनाएं प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''विपणन विकास सहायता कार्यक्रम'' - ₹355.05 लाख की बचत (₹875.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) ''डाटाबेस का उन्नयन'' - ₹506.64 लाख की बचत (₹589.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांग की कमी होने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य ग्राम उद्योग'' -

(क) ''पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निधि की स्कीम''- ₹264.00 लाख की बचत (₹1096.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडल अभिकरणों

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-fulfillment of condition laid down in policy matrix for release of 2nd tranche by the implementing agencies and slow pace of expenditure under various schemes.

(ii) "Rejuvenation, Modernisation and Technology Upgradation of Coir Industry- Tribal Sub Plan" – ₹172.00 lakhs - due to non-receipt of proposals, scheme being demand and project based.

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" – saving of ₹1736.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4950.00 lakhs) was due to non approval of sub schemes "MSME Growth Poles" by the Planning Commission and non-receipt of viable projects owing to pro activeness of State Governments.

(b) "Marketing Development Assistance Programme" – saving of ₹355.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹875.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme.

(c) "Upgradation of Data Base" - saving of ₹506.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹589.00 lakhs) was due to lack of demand from States/Union Territories owing to administrative reasons.

(B) "Other Village Industries" –

(a) "Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries" – saving of ₹264.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1096.00 lakhs) was due to reduction of

द्वारा व्यय की धीमी गति होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

provision at revised estimates stage owing to slow pace of expenditure by nodal agencies.

(ख) ''खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम'' - ₹183.00 लाख की बचत (₹1335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने और लाभार्थियों की अच्छी प्रतिक्रिया न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Workshed scheme for Khadi Artisans" – saving of ₹183.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1335.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to slow pace of expenditure and poor response from the beneficiaries.

(ग) ''खादी उद्योग और शिल्पकारों की उत्पादकता और स्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी स्कीम'' - ₹195.00 लाख की बचत (₹1405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दूसरा ट्रांच जारी करने के लिए नीतिगत ढांचे में निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(c) "Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industries and Artisans" – saving of ₹195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1405.00 lakhs) was due to non-fulfillment of conditions laid down in policy matrix for release of 2nd tranche by the implementing agencies and slow pace of expenditure under various schemes.

(गा) ''अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना''-

(C) "Special Component Plan for Scheduled Caste" –

(क) ''प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्थान और कार्यक्रम-अनुसूचित जाति उप योजना'' - ₹276.95 लाख की बचत (₹1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाल ही में शुरू की गई स्कीम में कम मांग होने और अन्य स्कीमों के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme – SC Sub Plan" – saving of ₹276.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less demand in the schemes launched recently and less requirement of funds for other schemes.

(ख) ''प्रशिक्षण संस्था - अनुसूचित जाति उप योजना''- ₹213.10 लाख की बचत (₹1305.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वोच्च संगठन से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम मांग होने के कारण हुई।

(b) "Training Institutions – SC Sub Plan "– saving of ₹213.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1305.00 lakhs) was due to less demand for training programmes from the apex organisation.

(घा) ''अन्य व्यय - राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना'' - ₹423.81 लाख की बचत (₹580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और उद्यमी हेल्पलाइन द्वारा काल की कम संख्या प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "Other Expenditure - Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana" – saving of ₹423.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies and receipt of lesser number of call volumes by Udyami helpline.

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹300.00 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹23535.05 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2851" -

(क) "लघु उद्योग" -

(i) "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड" - ₹1340.00 लाख।

(ii) "प्रौद्योगिकी गुणता सहायता संस्था और कार्यक्रम"- ₹800.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹129.72 लाख था।

(ख) "खादी और ग्राम उद्योग - खादी औ ग्रामोद्योग आयोग"- ₹19747.40 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹19697.40 लाख था।

(ग) "अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं" - ₹1060.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹541.56 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग - डाटाबेस का उन्नयन - राज्य सरकार" - ₹587.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹584.44 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास आयुक्त" - ₹174.67 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित आश्वासित

(III) Under four heads savings of ₹300.00 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 25 percent to 37 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹23535.05 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs – under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Small Scale Industries" –

(i) "National Small Industries Corporation Limited" – ₹1340.00 lakhs.

(ii) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – ₹800.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹129.72 lakhs.

(b) "Khadi and Village Industries – Khadi and Village Industries Commission"- ₹19747.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹19697.40 lakhs.

(c) "Other Expenditure –Training Institutions"– ₹1060.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹541.56 lakhs.

(B) Major Head "3601"- "Grant for Central Plan Schemes – Village and Small Industries - Small Scale Industries - Upgradation of Data Base – State Government" – ₹587.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹584.44 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration – Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises" – excess of ₹174.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds

करियर प्रोन्नति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, मंहगाई भत्ते में वृद्धि होने और ज्यादा चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) "लघु उद्योग" -

(i) "संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम" - ₹338.50 लाख का अधिक व्यय (₹11065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "ऋण सहायता कार्यक्रम" - ₹4875.55 लाख का अधिक व्यय (₹4125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "अन्य ग्राम उद्योग - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम"- ₹8107.22 लाख का अधिक व्यय (₹60505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) "अन्य व्यय" - "लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा" - ₹199.43 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

towards grant of modified assured career progression, increase in dearness allowance and receipt of more medical claims.

(B) "Small Scale Industries"-

(i) "Promotional Service Institutions and Programmes" - excess of ₹338.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11065.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for salaries.

(ii) "Credit Support Programme" - excess of ₹4875.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4125.00 lakhs); and

(C) "Other Village Industries – Prime Minister's Employment Generation Programme"– excess of ₹8107.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60505.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim.

(D) "Other Expenditure - Promoting International Co-operation among Small and Medium Enterprises" - excess of ₹199.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to receipt of large number of applications.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	750.00	799.99	219.63	-580.36
पु.	R.	49.99			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	300.00	..	..	..
पु.	R.	-300.00			

(I) ₹350.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹200.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - खादी तथा ग्रामोद्योग - खादी के विकास के लिए कर्ज" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹350.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" – "Loan for Village and Small Industries – Khadi and Village Industries – Loans for Development of Khadi" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम और लघु उद्योग "के अंतर्गत ₹530.37 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'केंद्रीय लोक निर्माण विभाग' द्वारा प्रतिबद्ध कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings – Other Expenditure – Construction of Office Accommodation – Village and Small Industries" – saving of ₹530.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs) was due to non-completion of the committed work by 'Central Public Works Department' in stipulated period.